राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:	ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या:	21 / 2026
निर्णय दिनांक:	13.04.2026
जीसीएमएस सं0:	2026 / 40
दायर दिनांक:	04.02.2026

1. जितेन्द्र शर्मा पुत्र नरेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर राजस्थान।

...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

उपस्थित:

1. वादी अधिवक्ता श्री विष्णु पुरोहित ।
2. प्रतिवादी पैरोकारराज तहसीलदार सुजानगढ़।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा दावा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि रोही ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 748 रकबा 3.5911 है0, खसरा संख्या 749 रकबा 4.5522 है0 वाके ग्राम शोभासर वादी के परदादा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के परदादा का, जाति व निवास स्थान मुनाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी गुडावड़ी अंकित है। जो गलत है जबकि वादी के परदादा का वास्तविक नाम मोहन लाल उर्फ मन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जुलियासर दर्ज है। अन्य दस्तावेज यथा मृत्यू प्रमाण पत्र में नाम मोहनलाल उर्फ मन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल अंकित है।

वादी के परदादा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण उनके विधिक वारिसान के नाम विरासतन दर्ज नहीं हो पा रहा है। वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी के परदादा का नाम दुरस्त करवाना वादी के लिए आवश्यक है।

वादगत खेत रोही शोभासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने तहसीलदार (भू–अ0) नेछवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के परदादा/खातेदार का सही नाम मोहनलाल उर्फ मन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति ाह्मण निवासी जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर है। अतः रोही ग्राम शोभासर के खसरा नम्बर 748, 749 में खातेदार का नाम मुनाराम पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासी गुडावड़ी के स्थान पर मोहनलाल उर्फ मन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जुलियासर तहसील नेछवा जिला सीकर किये जाने की अभिशंषा की गयी। प्रकरण में पुनः तहसीलदार नेछवा से रिपोर्ट ली गयी जिसपर तहसीलदार नेछवा ने भू–अ0नि0 , मंगलूणा तथ पटवारी हल्का तिडोकी बड़ी से जांच करवाकर रिपोर्ट प्रेषित की। रिपोर्ट व फर्द मौका के अनुसार ग्राम जुलियासर के निवासी मोहनलाल उर्फ मन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल व मुनाराम पुत्र चुन्नीलाल एक ही व्यक्ति है तथा इसी व्यक्ति का नाम मोहनलाल उर्फ मन्नालाल पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण है। वादी के परदादा की जमीन ग्राम जुलियासर एवं ग्राम शोभासर में अवस्थित है जबकि वादी के परदादा स्व. मोहनलाल उर्फ मन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल का मूल निवास स्थान जुलियासर ही है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार का संलग्नकों यथा मौका रिपोर्ट तहसीलदार भूअ0 नेछवा, फर्द मौका दिनांकित 05.03.2026 फर्द मौका दिनांकि 01.04.2026 आदि का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज मृत्यू प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि में वादी का के परदादा/खातेदार का नाम मोहनलाल उर्फ मन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण है। अतः मुताबिक रिपोर्ट फर्द मौका तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत हाता है।

–ःआदेशः–

वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 135 में अंकित खसरा संख्या 748, खसरा संख्या 749 में दर्ज खातेदार का नाम मुनाराम पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासी गुडावड़ी के स्थान पर मोहनलाल उर्फ मन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जुलियासर तहसील नेछवा जिला दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

वइजलास **श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस**

जितेन्द्र शर्मा बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत डिक्री घोषणात्मक, कृषि भूमि दुरस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा न0 21 सन 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ओमप्रकाश वर्मा, आरएएस, हाजरी श्री विषणु पुरोहित, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम शोभासर तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 135 में अंकित खसरा संख्या 748, खसरा संख्या 749 में दर्ज खातेदार का नाम मुनाराम पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासी गुडावड़ी के स्थान पर मोहनलाल उर्फ मन्नाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी जुलियासर तहसील नेछवा जिला दर्ज किया जावे। अन्य सभी प्रविष्ठि तथा रहन की प्रविष्ठि (यदि हो तो) यथावत रहेगी।

चीज... मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 **माह 04 2026**

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनताना वकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये ।